आवंटन पत्र प्रपत्र ''क''/प्रपत्र ''ख'' एवं प्रपत्र ''ग'' के रूप में संलग्न है जो स्वपरिभाषित है।

IV कार्यों का कार्यान्वयन :–

4.1 स्वीकृत योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कराया जायेगा। पच्चीस लाख से अधिक राशि की योजनाओं की निविदा ई–निविदा के माध्यम से संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा कराया जायेगा। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

4.2 स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन, संबंधित कार्य प्रमंडल के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जायेगा।

4.3 योजनाओं के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह मुख्य अभियंता कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका अनुश्रवण अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यरत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र–घ के रूप में संलग्न करना है। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संदर्भित आवश्यक अनुदेश निर्गत करेगा।

V गुणवत्ता नियंत्रण तथा कार्यों का पर्यवेक्षण :–

5.1 इस योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत रहेगा :–

(i) प्रथम स्तर– संवेदक/ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता एवं भारतीय रोड कॉंग्रेस द्वारा ग्रामीण पथों हेतु निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्माण के क्रम में समुचित संख्या में आवश्यक जाँच की जायेगी।

(ii) द्वितीय स्तर– बिहार लोक निर्माण संहिता में तकनीकी पदाधिकारियों हेतु प्रावधानित अनुदेशों के अनुसार अधीक्षण अभियंता एवम् मुख्य अभियंता के द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के क्रम में आवश्यक जाँच की जायेगी।

(iii) तृतीय स्तर– मिट्टी अन्वेषण एवम् गुण नियंत्रण प्रमंडल (ग्रामीण कार्य विभाग)–विभाग में कार्यरत मिट्टी अन्वेषण एवं गुण नियंत्रण प्रमंडल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीण पथों हेतु भारतीय रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित किये गये मापदंडों से निहित प्रावधानों के आलोक में निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में आवश्यक जाँच की जायेगी।

(iv) चतुर्थ स्तर– राज्य स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ता जांच दल–राज्य स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा विभाग द्वारा समय–समय पर दिए गये अनुदेशों के आलोक में संबंधित कार्य प्रमंडल के अधीन कार्यान्वित हो रही योजनाओं की आवश्यक जाँच की जायेगी एवम् जाँच प्रतिवेदन विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली अनुदेशों के आलोक में गुणवत्ता संबंधित जाँच की जायेगी।

5.2 भारतीय रोड काँग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामीण पथ विशिष्टि (Rural road specification)– 2004 में योजनाओं के कार्यान्वयन एवम् गुण–नियंत्रण हेतु निर्धारित किये गये मापदंड प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये अनुदेश प्रभावी होंगे।

5.3 संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, निर्माण के प्रत्येक चरण में एवम् पूर्ण होने के उपरांत पथ कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर संधारित करेंगे।

5.4 कार्य के निरीक्षण के दौरान संबंधित तकनीकी पदाधिकारी द्वारा फोटोग्राफी एवम् विडियोग्राफी करायी जायेगी एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ इसे उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5.5 प्रत्येक निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय तथा यात्रा व्यय/अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

5.6 कार्यपालक अभियंता, निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को कार्य संबंधी सभी जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध करायेंगे तथा जाँच कार्य में सहयोग करेंगे।

5.7 प्रत्येक विपत्र में संवेदक के अभियंता के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है तथा इसे संवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

vi प्रशिक्षण/नयी तकनीकी का उपयोग/सेवाओं की आउटसोर्सिंग :–

6.1 योजना के क्रियान्वयन में अभियंताओं के साथ–साथ संवेदकों का भी विशेष योगदान होगा। अतः योजना में अभियंताओं (ग्रामीण कार्य विभाग) एवं संवेदक/संवेदक के अभियंताओं को प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने का